महादेव भाऊ खिलारे (माणे) व अन्य

बनाम

महाराष्ट्र राज्य और अन्य

9 मई, 2007

[एस.बी. सिन्हा और सी. के. ठक्कर, जे. जे.]

सेवा कानूनः

अवशोषण- महाराष्ट्र राज्य में तलाठी (महाराष्ट्र राज्य में तलाठी पटवारी को कहा जाता है) द्वारा नियुक्त अवैतनिक सहायक- नियमित पदों पर अवशोषण का दावा- अभिनिर्धारित किया गया: उम्मीदवारों को उनकी मदद करने के लिए स्वयं कर्मचारियों द्वारा नियुक्त किया गया था, न कि अपेक्षित अधिकार क्षेत्र वाले किसी प्राधिकारी द्वारा- चूँकि वे राज्य की सेवा में नहीं थे, इसलिए उनका नियमितीकरण पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा- राज्य के एक सेवक की ओर से कोई भी कार्रवाई, जिसके पास उस संबंध में कोई अधिकार नहीं है, पूरी तरह से अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना होगी- संविधान के अनुच्छेद 162 के संदर्भ में किसी भी कार्यकारी निर्देश के माध्यम से कोई भी योजना, यदि वैधानिक नियमों का उल्लंघन है तो कानूनी रूप से संधारणीय नहीं होगी----भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 162।

अपीलार्थी संख्या 1 व 2 को तलाठी द्वारा अपने कार्यालय में सहायक और अवैतनिक उम्मीदवार के रूप में नियुक्त किया था। राज्य द्वारा राजस्व अधिकारियों को इस संदर्भ में इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश दिये गये थे परंतु वर्ष 1995 में कुछ अवैतनिक उम्मीदवारों ने महाराष्ट प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया और अंततः राज्य सरकार ने एक योजना तैयार की और उक्त योजना के तहत ऐसे अवैतनिक उम्मीदवार जिनके द्वारा प्रतिलिपिकारों के रूप में अपना कार्य पूर्ण कर लिया था तथा उन्हें ये कार्य करते हुए 10 वर्ष से अधिक समय दिनांक 30.11.1995 को हो चुका था, उनकी योग्यता व अन्य शर्तों को पूरा करने के परिणामस्वरूप विभिन्न पदों पर कार्य करने पर शामिल करने का प्रस्ताव था। चूंकि अपीलार्थियों को उक्त योजना के तहत नियुक्त नहीं किया गया था इसलिए वे न्यायाधिकरण की शरण में आये। उक्त अधिकरण ने ऐसे अपीलार्थियों को कोई भी राहत देने से अंतरिम तौर पर मना कर दिया क्योंकि तहसीलदारों द्वारा बिना किसी प्राधिकार के अपने स्तर पर उनसे कार्य लिए गये थे इसलिए उक्त अवैतनिक उम्मीदवारों की याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने पर उन्होंने वर्तमान अपीलें प्रस्तुत की।

याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

1.1 अपीलार्थियों को तलाठियों द्वारा उनके सहायकों के रूप में नियुक्त किया गया था। वे केवल तलाठियों के दिन-प्रतिदिन के कामों में

सहायता करते थे। तलाठियों के सहायक के रूप में कभी भी इस तरह का कोई पद न तो सृजित किया गया था, न ही किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया था। न ही इसके लिए कोई भर्ती नियम बनाये गये। इसलिए उनकी नियुक्तियां अवैध थीं। इसलिए राज्य ने ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। किसी भी मामले में कर्मचारी (तलाठियों) द्वारा स्वयं की मदद करने के लिए जिन्हें (अवैतनिक सहायक) नियुक्त किया गया था वे किसी प्राधिकृत अधिकारी की विशेष मांग पर नहीं रखे गये थे। (वे कर्मचारी की स्वयं की सहायता के लिए नियुक्त किये गये थे, न कि किसी सक्षम प्राधिकारी की मांग पर) इसलिए ऐसी नियुक्तियां जो कि किसी राज्य द्वारा बिना वैधानिक नियमों की पालना किये, बिना किसी पारिश्रमिक के की गईं थीं, अपने आप में अवैधानिक थीं।

1.2 इसके अलावा, इससे पहले कि कोई व्यक्ति नियमितीकरण का दावा कर सके, उसे राज्य की सेवा में होना चाहिए। यदि अपीलकर्ता राज्य की सेवा में नहीं थे, तो उनके पुन: नियुक्त होने का प्रश्न पूरी तरह से अनुचित होगा। अपीलार्थियों ने भले ही लंबे समय तक काम किया हो, लेकिन वे अपने आप में निर्णायक नहीं थे क्योंकि उनकी नियुक्ति राज्य द्वारा नहीं किये जाने के कारण किसी भी पद पर नहीं थी। ऐसे कार्मिक को अपने स्तर पर ऐसे सेवक रखने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था जब तक कि राज्य की ओर से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृति नहीं दी हो,

फिर भी वह सेवक रखता हो तो ऐसी नियुक्ति क्षेत्राधिकार के अभाव में पूर्णतः अवैध है।

सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी, 3 अन्य [2006] एससीआर 953, [2006] 4 इसके बाद एस. सी. सी. 1 का अनुपालन किया गया।

पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम रणजोध सिंह और अन्य (2006) 13 स्केल 426 और पंजाब राज्य भंडारण निगम चंडीगढ़ बनाम मनमोहन सिंह और अन्य (2007) 3 स्केल 401 और ए उमरानी बनाम पंजीयक, सहकारी समितियाँ और अन्य, [2007] 7 एस. सी. सी. 112, का संदर्भ दिया गया।

1.3 निर्विवाद रूप से, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा भर्ती नियम तैयार किए गए हैं। अनुच्छेद 162 के संदर्भ में कार्यकारी निर्देश के माध्यम से कोई भी योजना यदि भारत के संविधान के ऐसे वैधानिक नियमों का उल्लंघन है, तो वह कानूनी रूप से असंधारणीय होगी। (पैरा 7) (248-ए, बी.जे.)

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 191/2007

रिट याचिका संख्या 3735/2001 में माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय एवं आदेश दिनांक 16.02.2005 से।

आर. एस. हेगड़े, चंद्र प्रकाश, राहुल त्यागी और पी. पी. सिंह अपीलार्थीगण की ओर से।

अपराजिता सिंह, एस. एस. शिंदे और वी. एन. रघुपति प्रत्यर्थीगणो की ओर से।

न्यायालय का निर्णय एस. बी. सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया:

1. अपीलार्थी संख्या 2 को शुरू में ''तलाठी'' कार्यालय में एक सेवारत अवैतनिक उम्मीदवार के रूप में नियुक्त किया गया था ऐसी नियुक्ति कथित तौर पर तलाठी के आदेशों के तहत की गई थी जिसमें उन्हें अपने कार्यालय में अवैतनिक उम्मीदवार के रूप में काम करने की अनुमति दी गई थी। अपीलार्थी संख्या 1 को दिनांक 02.04.1979 को तलाठी के सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था। उक्त पद पर अपीलार्थी समय-समय पर कार्यरत रहा है। स्वयं अपीलकर्ताओं के अनुसार, अवैतनिक उम्मीदवारों को उम्मीदवार द्वारा दस्तावेज़ लिखने के लिए पहले प्रतिवादी द्वारा प्राप्त प्रत्येक रुपये में से 30 प्रतिशत प्राप्त होता था। राज्य द्वारा राजस्व अधिकारियों को ऐसी भर्ती रोकने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, इसके बावजूद, अपीलकर्ताओं जैसे व्यक्तियों से सहायकों की भर्ती जारी रही।

2. कथित तौर पर, वर्ष 1995 में, कुछ अवैतनिक उम्मीदवारों ने महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक मूल आवेदन दायर किया था जिसमें उन्होंने राज्य की सेवाओं में अपने अवशोषण के संबंध में निर्देश देने की मांग की थी। उसमें न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 30.11.1995 के एक निर्णय और आदेश द्वारा एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद राज्य द्वारा एक योजना तैयार की गई, जिसके प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं:-

******** *सरकारी प्रस्ताव* **********

(ए) राजस्व विभाग से अवैतनिक प्रतिलिपिकर्ताओं को प्रशासन की सेवा में समाहित करने के लिए पात्रता की तिथि महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश जारी करने की तिथि अर्थात 30 नवंबर 1995 (तारीख में कटौती) के रूप में तय की जानी चाहिए।

(एए) ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने दिनांक 30.11.1995 को 10 साल की सेवा पूरी कर ली है और एक वर्ष से अधिक समय से सेवा में है, वे स्टेनो, टाइपिस्ट, तृतीय श्रेणी टाइपिस्ट में तलाठी या राजस्व विभाग में समान पदों के लिए आवेदन करते हैं या चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए यदि वे ऐसी शैक्षणिक योग्यता रखते हैं और यदि उन्होंने उक्त रिक्त

पदों पर अवशोषित होते समय रोजगार विनिमय कार्यालय में अपना पंजीकरण कराया है, तो उक्त रिक्त पदों के लिए आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। भर्ती समिति द्वारा उनकी नियुक्ति की समान शर्तें लागू नहीं होंगी।

******* ******** *******

(यूयू) अवैतनिक, प्रतिलिपिकारों के मामले में कलक्टर (जिलाधीश) और स्थानीय राजस्व अधिकारियों को नियमानुसार कार्य संपादित करना चाहिए:

(ए) राजस्व विभाग के अवैतनिक प्रतिलिपिकार जो 10 वर्ष से अधिक समय से 30 नवंबर, 1995 तक सेवा कर रहे हैं। ऐसे मामलों की जांच जिलाधीश (कलक्टर) द्वारा की जा सकती है और ऐसे प्रतिलिपिकार से पूछताछ करनी चाहिए कि वह जिस पद पर अवशोषित होना चाहता है, यदि अपीलार्थी के पास निधार्रित शैक्षणिक योग्यता है और उसने रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराया है तो ऐसे प्रतिलिपिकारों की वरिष्ठता सूची तैयार कर उन्हें उपरोक्त योजना के अनुसार नियुक्त किया जाए।

(2) जिन अवैतनिक प्रतिलिपिकारों ने 30 नवंबर 1995 को 10 साल से कम या 3 साल से अधिक की सेवा की है, तो

उनकी शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए उनके नाम स्थानीय अनुभाग समिति को भेजे जाएं और लगातार तीन उम्मीदवारों के मामलों में आयु सीमा में छूट दी जाए तथा सरकारी योजनाओं के अनुसार सूचित किया जावे। इस तरह की अवैतनिक प्रतिलिपिकारों को सीधे चयन हेतु बोर्ड में आवेदन करने के लिए कहा जाए।

(3) अब से, सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व एवं वन विभाग के सरकारी परिपत्र सं. ईस्ट/1083/3618/483-ई 7 दिनांक 13 फरवरी, 1987 द्वारा जारी आदेशों का सावधानीपूर्वक पालन करने के लिए कहा जाए।"

3. हालाँकि, अपीलार्थियों को उक्त योजना के तहत नियुक्त नहीं किया गया था। वे फिर से न्यायाधिकरण की शरण में गये। न्यायाधिकरण द्वारा 29.1.1999 को एक निर्णय द्वारा प्रत्यर्थीगणों को अपीलार्थीगणों को उक्त योजना के दायरे में लाने का निर्देश दिया गया था। इससे व्यथित और असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थीगणों ने कई याचिकाएं दायर की जिनकी उन्हें अनुमति दी गई और मामला पुनः न्यायाधिकरण को भेज दिया गया।

4. अंततः, न्यायाधिकरण का अपने आदेश दिनांक 20.7.2001 में मत था कि, तहसीलदारों द्वारा अपीलार्थियों से काम बिना किसी अधिकार

के लिया गया था। इसके विरुद्ध अपीलकर्ताओं द्वारा दायर याचिका आक्षेपित निर्णय के कारण खारिज कर दी गई है।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आर. एस. हेगड़े ने तर्क दिया कि महाराष्ट राज्य की बनायी गयी योजना दिनांक 22.10.1996 अपीलार्थयों पर लागू होगी जो मामले को ध्यान में रखते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एक बड़ी संख्या में समान स्थिति वाले व्यक्ति पहले ही राज्य की सेवाओं में शामिल हो चुके हैं, इसका कोई कारण नहीं है कि उनके साथ भेदभाव क्यों किया जाए।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि न केवल कोई पद स्वीकृत नहीं है बल्कि तहसीलदारों द्वारा स्वयं की सहायता के लिए कथित भर्तियां की गई थी और इस तरह अपीलार्थी उक्त योजना के दायरे में नहीं आते हैं।

7. निर्विवाद रूप से, महाराष्ट्र राज्य ने भर्ती नियम बनाए हैं। इस संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 में स्पष्ट है कि कोई भी कार्यकारी निर्देश के माध्यम से कोई भी योजना जो ऐसे वैधानिक नियमों का उल्लंघन करती है वह कानूनी रूप से संधारणीय नहीं हो सकती।[*ए. उमारानी बनाम रजिस्ट्रार, सहकारी समिति और अन्य* [2004] 7 एससीसी 112 देखें]

8. किसी भी निहित कानूनी अधिकार के अस्तित्व के संबंध में प्रश्न, अन्य बातों के अलावा उपरोक्त नियुक्तियों और दैनिक वेतन भोगियों के जिन्हें राज्य सेवाओं में समाहित/नियमित किया जाना है। उक्त तथ्य न्यायालय की एक संविधान पीठ के समक्ष और राज्य सेवाओं के नियमित होने पर *कर्नाटक राज्य के सचिव और अन्य बनाम वी. उमादेवी* [2006] 4 एस सी सी मामले में विचार आया था।

9. इसमें यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सेवा में नियमितीकरण, ऐसे मामलों में जहां नियुक्तियां शुरू से ही शून्य थीं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की भर्तियों में मौजूदा नियमों और संवैधानिक योजनाओं की पूरी तरह से अवहेलना में की गई थीं, वे पूरी तरह अवैध होंगी और इस प्रकार इस संबंध में निर्देश जारी किया जा सकता है। *[पंजाब जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड बनाम रणजोध सिंह और अन्य, (2006) 13 स्केल 426 और पंजाब राज्य भंडारण निगम चंडीगढ़ बनाम मनमोहन सिंह और अन्य, (2007) 3 स्केल 401 भी देखें]*

10. उक्त योजना के अनुसार राजस्व विभाग, स्टेनो-टाइपिस्ट, तृतीय श्रेणी अथवा समकक्ष पदों पर टाइपिस्ट को राज्य सेवा में सम्मिलित किया जा सकेगा। हम मान सकते हैं कि उक्त योजना कानून रूप से वैध थी, हालांकि यह उमरानी (सुप्रीम कोर्ट) में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर नहीं थी। अपीलार्थियों को तलाठियों द्वारा अपने सहायकों के रूप

में नियुक्त किया गया था। वे केवल तलाठियों को उनके दैनिक कार्यों में सहायता करते थे। उन्हें कभी भी तलाठियों के रूप में नियुक्त नहीं किया गया। तलाठियों के सहायक का ऐसा कोई पद सक्षम प्राधिकारी द्वारा सृजित और स्वीकृत नहीं किया गया, न ही इसके लिए कोई भर्ती नियम बनाये गये थे। इसलिए, नियुक्तियां अवैध थीं। राज्य ने ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियों पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। किसी भी स्थिति में, उन्हें स्वयं कर्मचारियों द्वारा उनकी सहायता के लिए नियुक्त किया गया था, न कि अपेक्षित अधिकार क्षेत्र वाले किसी प्राधिकारी द्वारा।

11. राज्य द्वारा वैधानिक नियमों का पालन किए बिना और किसी पारिश्रमिक के बिना की गई नियुक्तियां स्वयं अपने आप में अवैधानिक थीं।

12. इससे पहले कि कोई व्यक्ति राज्य की सेवाओं में नियमितीकरण का दावा कर सके, उसे राज्य की सेवा में होना चाहिए। यदि अपीलार्थी राज्य की सेवाओं में नहीं थे, तो हमारी राय में, उन्हें नियमित किये जाने का प्रश्न पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा। अपीलार्थियों ने भले ही लंबे समय तक काम किया हो, लेकिन वह अपने आप में निर्णायक नहीं थे क्योंकि वे राज्य द्वारा नियुक्त नहीं किए जाने के कारण किसी भी पद पर नहीं थे। किसी राज्य के सेवक की ओर से कोई भी कार्रवाई जिसके पास

इस संबंध में कोई अधिकार नहीं है, पूरी तरह से अवैध है और अधिकार क्षेत्र के बिना होगी।

13. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि विवादित निर्णय में हमारे हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनना पाया गया है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील/याचिका खारिज की जाती है। कोई हर्जा-खर्चा नहीं।

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजपाल मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा